कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन,बाणगंगा,भोपाल

क्रमांक 34. / प्र.अ.(विधि) / लोस्वायांवि. / 2023 भोपाल, दिनांक- 10/01/2024

/ /आदेश/ /

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन कमांक 18314 / 2020 (श्यामदास गढ़पाल एवं 14 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) तथा रिट पिटीशन कमांक 1698 / 2021 (गोकुल प्रसाद रजक एवं 13 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड बालाघाट के अधीनस्थ कार्यरत 15 ट्रायसेम श्रमिकों कमशः (1) श्री श्यामदास गढ़पाल, (2) श्री मुलाजी कटारे (3) श्री रामदयाल तुरकर (4) श्री सेंगलाल महुले (5) श्री मनोहर विश्वकर्मा (6) श्री अभिमन्यु शेंडे (7) श्री चन्द्रशेखर मसकरे (8) श्री कृष्ण कुमार राउत (9) श्री दुलीराम पालीवाल (10) श्री तुलाराम बिसेन (11) श्री पिरथीलाल ठाकरे (12) श्री राजेन्द्र तिरपुडे (13) श्री ज्ञानेश्वर रोकडे (14) श्री नरेन्द्र खुदसाम एवं (15) श्री अशोक साकरे तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सागर के अधिनस्थ कार्यरत 14 ट्रायसेम श्रमिकों कमशः (1) श्री गोकुल प्रसाद रजक (2) श्री रूपराम यादव (3) श्री भगवानदास पटेल (4) श्री छोटेलाल रजक (5) श्री शिवराम अहिरवार (6) श्री छोटेलाल अहिरवार (7) श्री बलराम यादव (8) श्री काशीराम अहिरवार (9) श्री मुन्ना आदिवासी (10) श्री मदन पटेल (11) श्री हरिराम अहिरवार (12) श्री सुन्दरलाल चढार (13) श्री हल्लू चढार एवं (14) श्री गोंविंद बासुदेव, के द्वारा रिट पिटीशन में चाहे गये स्वत्वों का निर्धारण किया जा रहा है।

(1) श्री श्यामदास गढ़पाल एवं 14 अन्य ट्रायसेम श्रमिकों तथा श्री गोकुल प्रसाद रजक एवं 13 अन्य ट्रायसेम श्रमिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष कमशः रिट पिटीशन क.18314 / 2020 एवं रिट पिटीशन क.1698 / 2021 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :-

> (अ) प्रतिवादियों को निर्देशित किया जावें कि वे याचिकाकर्ता कर्मचारियों के लिये मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी की गयी पॉलिसी दिनोंक 07.10.2016 का अनुमोदन, उन्हें हैंडपंप मैकेनिक के पद पर मानते हुए करे ।
>
> (अ) प्रतिवादियों को यह भी निर्देशित किया जावें कि वे याचिकाकर्ता कर्मचारियों को दिनांक 07.10.2016 से हैंडपंप मैकेनिक के पद का वेतनमान एवं सेवा लाभ प्रदान करे । साथ ही उनका दिनांक 07.10.2016 से सभी लाभों सहित वेतन निर्धारण करते हुए एरियर राशि ब्याज सहित भुगतान करें ।

(2) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त दोनो रिट याचिकाओ का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 13.12.2023 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

> 9. Accordingly, both these petitions are disposed of with directions to the respondents to consider the cases of the petitioners as regards conferment of the benefit of circular dated 7.10.2016 in the light of the orders passed in the cases of similarly situated employees i.e. W.P. No. 2206 of 2015 (Gouri Shankar Vs. State of M.P. & others) and W.P. No. 2205 of 2015 (Balram Vs. State of M.P. & others) within a period of 90 days from the date of production of certified copy of this order by passing a well reasoned and speaking order and in case the petitioners are found entitled for the similar benefit, same be extended to them

10/1

within a further period of 60 days without compelling them to revisit this Court.
10. It is made clear that this Court has not expressed any view on the merit of the case and the Authority concerned, shall take decision on the grievance of the petitioners in accordance with law taking into consideration the aspect of parity.

(3) रिट याचिका कमांक 18314/2020 में शामिल सभी 15 ट्रायसेम मैकेनिकों द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 22.12.2023 प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने पॉलिसी दिनांक 07.10.2016 के अनुसार स्थाई कर्मी योजना का लाभ चाहा है।

(4) ट्रायसेम योजना एवं इसके अंतर्गत नियोजित किये गए पंप सुधारकों के सम्बन्ध में विवरण

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वासथ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा ट्रायसेम योजना के अंतर्गत हैंडपंपों के सुधार हेतु प्रशिक्षण और ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार के अवसर देने हेतु परिपत्र दिनांक 30.07.1983 के माध्यम से निर्देश जारी किये गये थे।

निर्देशों के अनुपालन में ग्रामीण स्तर पर नवयुवकों को हैंडपंपों के माइनर कार्यो जैसे चैन की आयलिंग ग्रीसींग करने, तोड़-फोड़ से रक्षा करने तथा अति साधारण रख-रखाव कार्य करने हेतु अधिकतम एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया था । ट्रायसेम मैकेनिको को विभाग में हैंडपंप सुधार/रक्षा से संबंधित मायनर कार्यो हेतु अंशकालिक तौर पर प्रतिदिन अधिकतम 1 से 2 घंटे के कार्य हेतु, हैंडपंप रक्षक के रूप में मानदेय के आधार पर नियोजित किया गया था। इस व्यवस्था से शासन की मंशा संधारण कार्य में विभाग द्वारा किये जाने वाले व्यय से बचत के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने की थीं। **पंप सुधारक को यह भी छूट दी गई थी कि वह विभाग द्वारा सौंपे गये कार्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र के निजी नलकूपों आदि का कार्य करना चाहे तो उन सब के लिए उसे स्वतंत्रता रहेगी, बशर्त कि हैंडपंपों के सुधार के लिए वर्णित कर्तव्यों की उपेक्षा न हो। उपरोक्तानुसार उन्हें अपने इस काम के साथ-साथ अन्य कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी । यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि योजना में उनके कार्य को पूर्णकालिक किये जाने अथवा उनके नियमितीकरण इत्यादि के संबंध में कोई प्रावधान प्रारंभ से ही नहीं था।**

शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार इन कार्यो हेतु श्रमिकों को प्रारंभिक तौर पर, प्रतिमाह, प्रति हैंडपंप रूपये 10/- के हिसाब से भुगतान का प्रावधान किया गया था। बाद में पंचायत राज व्यवस्था के तहत "लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित उत्तरदायित्वों और प्रशासकीय प्रबंधन का अंतरण" के तहत, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 8-16/96/2/चौतिस भोपाल, दिनांक 06.05.1998 में निहित प्रावधानों के तहत विभाग में बढ़ते हैण्डपंपों की संख्या को देखते हुऐ हैण्डपंपों की संख्या के आधार पर नियमित हैण्डपंप मैकेनिकों की नियुक्ति में वित्तीय भार को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये हैण्डपंपों के संधारण एवं रख रखाव हेतु शासकीय अमले में फैलाव के बजाय अन्य विकल्प के रूप में शासन द्वारा ग्रामीण नवयुवको को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने संबंधी संचालित ट्रायसेम योजना के अंतर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाते हुए, तत्समय प्रत्येक ट्रायसेम श्रमिक को 25 से 30 हैण्डपंपों के संधारण व उनके रख- रखाव की जिम्मेदारी सौपे जाने का प्रावधान किया गया था। परिपत्र के अनुसार ट्रायसेम योजना के अंतर्गत प्रशिक्षितों को संधारण कार्य के प्रति आकृष्ट करने हेतु प्रतिमाह, प्रति हैंडपंप रूपये 20/-का पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान किया गया था।

10/1

वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 16–54 /2017/1/34 भोपाल, दिनांक 07 जून 2018 में यह ट्रायसेम योजना, प्रतिमाह, प्रति हैंडपंप रूपये 75/– के हिसाब से, अधिकतम 120 हैंडपंपों हेतु अधिकतम रू. 9,000/– प्रतिमाह मानदेय भुगतान के रूप में प्रभावशील हैं ।

(5) दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एव उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में विवरण

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, दैनिक दर पर कार्यरत पूर्णकालिक श्रमिक होते हैं, जिनकी सेवायें म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएँ) अधिनियम 1961, नियम 1963 के अंतर्गत आती थी। इन श्रमिकों को वेतन का भुगतान मासिक आधार पर न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दरों से किया जाता था। यदि कोई श्रमिक इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये स्थाई आदेश क्रमांक 2 (i) अथवा (vi) की शर्तें पूरी करता है तो उसे स्थायी वर्गीकृत होने की पात्रता आती है।

शासन द्वारा वर्ष 2013 में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित करने के लिये, संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत "म.प्र. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013" लागू किये गये थे तथा उनकी सेवाऐ उक्तानुसार ही नियत्रित की जाती थी ।

बाद में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के माध्यम से **कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये "स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** जारी की गयी है जिसमें नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगियो को स्थायी कर्मी की श्रेणी देते हुए उन्हें अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रेणी में विभाजित कर श्रेणीवार वेतनमान स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये थे। इस परिपत्र की कंडिका–4, 5 एवं 6 में निम्नानुसार उल्लेख है :–

> 4. निर्माण विभागों के अतिरिक्त अन्य जिन विभागों में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत हैं, उन्हें वर्तमान में श्रमायुक्त द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। राज्य शासन एक कल्याणकारी राज्य होने की अवधारणा पर उस न्यूनतम मजदूरी से बेहतर मजदूरी देने के लिये इस श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को भी स्थायी कर्मी का पदनाम देते हुए वही वेतनमान एवं सुविधाएं देय होगी, जो उनके समकक्ष दैनिक वेतन भोगी को कंडिका–1.1 से 1.8 के अधीन निर्माण विभागों के स्थायी कर्मी को दये होगी। तद्नुसार संबंधित विभागों द्वारा कार्यपालिक आदेश जारी किये जाएं।
>
> 5 मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 जो कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी किये गये हैं को निरस्त किया जाकर विभिन्न निर्माण विभाग उपरोक्त कंडिका– 1.1 से 1.8 के अनुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक नियेजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961 व नियम 1963 के अंतर्गत इन निर्माण विभागों में कार्यरत श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिक मानते हुए आदेश जारी किये जाऐंगे व संबंधित विभाग के स्थायी कर्मियों का नियमन तद्नुसार किया जाए।
>
> 6 कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

10/1

(6)<u>याचिकाकर्ताओं द्वारा चाही गयी सहायता</u>

रिट यांचिका कमांक 18314/2020 एवं 1698/2021 में शामिल सभी 29 याचिकाकर्ता ट्रायसेम मैकेनिकों द्वारा मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 5-1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के माध्यम से जारी की गयी **कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को लिये "स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** का लाभ उन्हें हैंडपंप **मैकेनिक** मानते हुए दिनांक 07.10.2016 से देने तथा एरियर राशि का ब्याज सहित भुगतान करने बावत निवेदन किया गया है।

(7) याचिकाकर्ताओं द्वारा चाही गयी सहायता का निर्धारण

रिट याचिका कमांक 18314/2020 एवं रिट याचिका कमांक 1698/2021 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2023 के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड बालाघाट एवं सागर के अधीनस्थ कार्यरत सभी 29 याचिकाकर्ता ट्रायसेम मैकेनिकों द्वारा रिट याचिका में चाही गयी सहायता का निराकरण (स्वत्वों का निर्धारण). निम्नानुसार किया जा रहा है :-

1. सभी याचिकाकर्ता ट्रायसेम मैकेनिक ऊपर उल्लेखानुसार मानदेय पर कार्यरत अंशकालिक श्रमिक हैं, जिनकी सेवायें पूर्णकालिक नहीं हैं तथा वे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं है। **उनसे प्रारंभ से ही कार्य के परिमाण के आधार पर देय मानदेय के अनुसार विभागीय सेवायें प्राप्त की जा रही हैं । उन्हें कभी भी दैनिक दर पर भुगतान नहीं किया गया है। उन्हें विभागीय कार्यो के अतिरिक्त अपनी आजिविका चलाने हेतु अन्य किसी भी तरह के कार्य संपादन हेतु पूर्णतः स्वतंत्र रखा गया हैं। सभी याचिकाकर्ता श्रमिक म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम 1961, नियम 1963 अथवा म.प्र.शासन द्वारा बनाये गये सेवा नियम "म.प्र. दैनिक वेतन भागी (सेवा की शर्तें) नियम 2013 के अंतर्गत के अंतर्गत नहीं आते हैं। मात्र इन्ही अधिनियमों/सेवा नियमों के अधीन शासित होने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनियमितीकरण योजना दिनांक 07.10.2016 लागू की गई है, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता श्रमिकों का समावेश किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है।**

<u>रिट पिटीशन कमांक 2206/2015 (गौरी शंकर बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) एवं 2205/2015 (बलराम बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में सामान प्रकृति के कर्मचारियों को</u> दिए गए लाभ के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

2. याचिकाकर्ता श्रमिकों द्वारा अपने पक्ष समर्थन हेतु विभाग के अधीनस्थ भिंड जिले में कार्यरत दो ट्रायसेम श्रमिक श्री गौरी शंकर एवं श्री बलराम द्वारा दायर की गई रिट पिटीशन कमांक 2206/2015 एवं 2205/2015 में पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 के अनुपालन में मुख्य अभियंता ग्वालियर द्वारा जारी किये गये आदेश कमांक 315 दिनांक 08.05.2018 का उपयोग किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इन दोनों कर्मचारियों को तत्कालीन कार्यपालन यंत्री भिंड द्वारा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ सम्मिलित करते हुये स्थायी वर्गीकृत करने संबंधी त्रुटिपूर्ण आदेश पृ० कमांक 2822

दिनांक 30.07.2005 जारी कर दिया गया था। इन कर्मचारियों ने उक्त आदेश के आधार पर ही रिट पिटीशन क्रमांक 2205/2015 एवं 2206/2015 दायर की थी, जिसमें उनके अभ्यावेदन के निराकरण के आदेश दिये गये थे । अभ्यावेदन निराकरण आदेश में उन्हें स्थायी वर्गीकरण के लाभों के लिये नहीं बल्कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई विनियमितीकरण योजना दिनांक 07.10.2016 के लिये पात्र निर्धारित किया गया था।

विभाग के संज्ञान में आने के बाद कार्यपालन यंत्री, खंड भिंड के त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 30.07.2005 को निरस्त भी कर दिया गया था किन्तु प्रभावित कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये न्यायालयीन प्रकरणों के प्रतिरक्षण में असफलता के कारण विभाग के लिये उन्हें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को देय लाभ देने की बाध्यकारी स्थिति उत्पन्न हुई थी।

मुख्य अभियंता, ग्वालियर द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.05.2018 में उल्लेख किया गया है कि इन कर्मचारियों को शासन के आदेश क्रमांक एफ16-102/2016/1/34 भोपाल, दिनांक 07.05.2018 के अनुसार अकुशल श्रेणी के लाभ दिये जा रहे हैं। शासन के उक्त आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि **"ऐसे ट्रायसेम मैकेनिक जिन्हें पूर्व में दैनिक वेतन भोगी के रूप में वर्गीकृत किया गया है (मात्र भिंड जिले के लिए)"** को अकुशल श्रेणी में सम्मिलित किया जा रहा है। शासन का आदेश भी यह स्पष्ट दर्शाता है कि उक्तानुसार शामिल किया जा रहा प्रावधान पूरे प्रदेश की बजाय अपवाद स्वरूप मात्र भिंड जिले में हुए घटनाक्रम से प्रेरित है।

निष्कर्षित है कि विभाग को भिंड जिले में कार्यरत कुछ ट्रायसेम मैकेनिकों को, नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रारंभ में दैनिक वेतन भोगी मान्य करने संबंधी त्रुटिपूर्ण आदेश जारी करने एवं बाद में उस आदेश पर आधारित न्यायालयीन प्रकरण के प्रतिरक्षण में असफलता के कारण, न्यायालयीन निर्णयों के बाध्यकारी प्रभाव में, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लागू होने वाले लाभ **(स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना/'न्यूनतम वेतनमान आदि)** देने पड़े हैं किन्तु इसकी वजह से वर्तमान याचिकाकर्ता श्रमिकों को इस तरह के किसी लाभ की पात्रता नहीं आती है क्योंकि **उनके संबंध में इस प्रकृति के कोई विभागीय आदेश (भले ही वह त्रुटिपूर्ण हो) तथा उससे उत्प्रेरित न्यायालयीन निर्णय (जो उनके संबंध में संगत लाभों के निर्धारण/ देने के संबंध में बाध्यकारी प्रभाव रखते हों) कभी भी अस्तित्व में नहीं रहे हैं।**

3. अंत में विभाग की ओर से यह भी कहा जाना आवश्यक है कि सामान प्रकृति के कर्मचारियों को त्रुटिपूर्ण आधार पर दिए गए लाभ के अनुरूप याचिकाकर्ता श्रमिकों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लाभ पाने की पात्रता नहीं आती है क्योकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित "राम नरेश रावत" प्रकरण एवं **"इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एवं अन्य विरूद्ध टी.के.सूर्यनारायणन एवं अन्य"** [(1997) एस.सी.सी. 766] नामक प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कुछ लोगों को त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है तो वह अन्य लोगों के लिये उस लाभ को प्राप्त करने का आधार नही बन सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया समानता के अधिकार को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(8) उपरोक्तानुसार रिट पिटीशन क्रमांक 18314/2020 (श्यामदास गढ़पाल एवं 14 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) तथा रिट पिटीशन क्रमांक 1698/2021 (गोकुल प्रसाद रजक एवं 13 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल सभी 29 याचिकाकर्ता ट्रायसेम मैकेनिकों के सम्बन्ध में निर्धारित किया जाता है कि वे सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है । कंडिका क्रमांक 4 के अनुसार उन्हें उनके उनके कार्य के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। रिट याचिका क्रमांक 18314/2020 एवं रिट याचिका क्रमांक 1698/2021 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.012.2023 के परिपालन में याचिकाकर्ता ट्रायसेम मैकेनिकों द्वारा माननीय न्यायलय से चाही गयी सहायता कि "उन्हें म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गयी विनियमितीकरण योजना दिनांक 07.10.2016 का लाभ दिया जावे," को अमान्य किया जाता है।

10/1
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 373 / प्र.अ.(विधि) / लोस्वायांवि. / 2023 भोपाल, दिनांक 10/01/2024

प्रतिलिपि :-

(1) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(2) मुख्य अभियंता लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(3) कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग खंड बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(4) कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिंकी विभाग, खंड सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

~~(6)~~ (5) श्री-- पता------------------
------ ------ ट्रायसेम मैकेनिक की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

10/1
प्रमुख अभियंता

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 **भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर, 2016**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए "स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना"।

राज्य शासन द्वारा नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है -

1.1 इन्हें 'दैनिक वेतन भोगी' के स्थान पर 'स्थायी कर्मी' की श्रेणी दी जावे ।

1.2 इन्हें निम्नानुसार वेतनमान स्वीकृत किया जावे ।

श्रेणी	वेतनमान
1	2
अकुशल	4000-80-7000
अर्द्धकुशल	4500-90-7500
कुशल	5000-100-8000

(हस्ताक्षर)

निरंतर.....2

20

1.3 वरिष्ठता का लाभ देने हेतु 01 सितम्बर, 2016 की स्थिति में उनके द्वारा पूर्ण किए वर्षों के आधार पर संबंधित वेतनमान में अंकित वेतनवृद्धि की दर से गणना को उन्हें संबंधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जावेगा ।

1.4 इस पर इन्हें मंहगाई भत्ता देय होगा। (वर्तमान 125 प्रतिशत)

1.5 कोई एरियर देय नहीं होगा ।

1.6 यह वेतन निर्धारण 01 सितम्बर, 2016 की तिथि से होगा। आगामी वेतनवृद्धि सितम्बर, 2017 से देय होगी ।

1.7 अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर 15 दिन प्रतिवर्ष के सेवाकाल के वेतन के आधार पर उपादान की पात्रता होगी। यह राशि अकुशल के लिए रू. 1,25,000/-, अर्द्धकुशल के लिए रू. 1,50,000/- एवं कुशल के लिए रू. 1,75,000/- तक सीमित होगी ।

1.8 ऐसे दैनिक वेतन भोगी जो दिनांक 16 मई, 2007 को कार्यरत थे, व दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को भी कार्यरत हैं, इस वेतन क्रम एवं अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे। दिनांक 16 मई 2007 के पश्चात शासन की अनुमति/अनुमोदन उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के पद पर नियुक्त किये गये हैं उन्हें भी योजना की पात्रता होगी । दिनांक 01 सितम्बर 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा से पृथक किये गये अथवा सेवा छोड़ चुके दैनिक वेतन भोगियों को इस योजना की पात्रता [illegible]

निरन्तर ....

7

होगी । संविदा, अंशकालीन एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू नहीं है ।

2. चतुर्थ श्रेणी के रिक्त नियमित पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति हेतु एक योजना बनाई गई है जो **संलग्न परिशिष्ट- 'अ'** पर है । इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) नियम, 2013 के नियम-7 में वर्णित समूह-6 में चतुर्थ श्रेणी की चयन प्रक्रिया को एक वर्ष के लिए स्थगित की जाती है ।

3. मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कतिपय विभागों द्वारा आदेश जारी किये गये हैं, उन्हें पूर्ववत रखा जाए। जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा मान. उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये हैं उन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा संबंधित न्यायालयीन प्रकरण वापिस लिये जाने पर प्रस्तावित योजना का लाभ दिया जाए।

4. निर्माण विभागों के अतिरिक्त अन्य जिन विभागों में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत हैं, उन्हें वर्तमान में श्रमायुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। राज्य शासन एक कल्याणकारी राज्य होने की अवधारणा पर उस न्यूनतम मजदूरी से बेहतर मजदूरी देने के लिए इस श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को भी स्थायी कर्मी का पदनाम देते हुए वही वेतनमान एवं सुविधाएं देय होगी, जो उनके समकक्ष दैनिक वेतन भोगी को कंडिका-1.1 से 1.8 के अधीन निर्माण विभागों के स्थायी कर्मी को देय होगी। तद्नुसार संबंधित विभागों द्वारा कार्यपालिक आदेश जारी किये जाएं ।

निरन्तर...

5 मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 जो कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत जारी किये गये हैं को निरस्त किया जाकर विभिन्न निर्माण उपरोक्त कंडिका- 1.1 से 1.8 के अनुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961 व नियम 1963 के अन्तर्गत इन निर्माण विभागों में कार्यरत श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिक मानते हुए आदेश जारी किये जाऐंगे व संबंधित विभाग के स्थायी कर्मियों का नियमन तद्नुसार किया जाए।

6. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.के. वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 **भोपाल दिनांक** 07 अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल ।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. ।
5. मा. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल ।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल ।
8. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल।

निरन्तर...5

9. प्रमुख सचिव/सचिव/ उप सचिव/अवर सचिव(स्थापना/अधीक्षण) सा.प्र.विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, म.प्र.विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल ।
12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल ।
13. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र.भोपाल ।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग म.प्र. इन्दौर ।
15. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.।
16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल ।
18. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, म.प्र. ।
19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल ।
20. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट-"अ"

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

विषय:- कार्यरत दैनिक वेतन भोगी "स्थायी कर्मियों" को नियमित सेवा के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाने बावत् । (चयन प्रकिया)

मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा(संयुक्त अर्हता) नियम, 2013 के नियम-7 के वर्णित समूह- 6 में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को अधिकृत किया गया है । चतुर्थ श्रेणी के अधिकांश पद जिला स्तर के होते हैं । बोर्ड द्वारा प्रदेश स्तर पर आवेदन प्राप्त किये जाने से कही के निवासी व्यक्ति का दूरस्थ जिले में पदस्थापना प्राप्त हो जाती है जो निम्न वेतन भोगी के लिए कई व्यवहारिक कठिनाईयाँ उत्पन्न करती हैं इसको देखते हुए जिला स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार चयन प्रकिया अपनाई जाए :-

(1) जिला स्तर के चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन करने के लिए निम्नानुसार समिति गठित की जाए :-

1. संभागीय आयुक्त - अध्यक्ष
2. जिला कलेक्टर - सदस्य
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत - सदस्य
4. जिले के संबंधित विभाग का कार्यालय प्रमुख - सदस्य
5. अनुसूचित जाति/जनजाति का नामांकित अधिकारी - सदस्य

निरन्तर ...2

11

(2) **समिति का कार्य व चयन के मापदण्ड :-**

1. चयन समिति जिले में कार्यरत स्थायी कर्मी चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन सूची तैयार करेगी ।

2. 10 वीं उत्तीर्ण स्थायी कर्मी को रिक्त पदों पर वरियता के आधार पर चयन किया जाएगा ।

3. यदि स्थायी कर्मी 12 वीं उत्तीर्ण है तो उसे वरियता अंक निर्धारित कर लाभ दिया जावेगा । 12 वीं उत्तीर्ण से अधिक योग्यताधारी को कोई वरियता अंक की पात्रता नहीं होगी ।

4. स्थायी कर्मी लम्बी अवधि से कार्य कर रहे हैं उन्हें वर्ष के आधार पर वरियता अंक निर्धारित कर मेरिट में सूची स्थान दिया जाएगा ।

5. यदि इस संवर्ग में कोई विधवा महिला अथवा पूर्व के अनुकंपा पर नियुक्त कर्मचारी 10 वीं उत्तीर्ण नहीं है तो [illegible] वीं उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति की पात्रता होगी अर्थात समिति उनके नाम पर विचार करेगी ।

6. चयन समिति विभाग वार रिक्त पदों पर उसी कार्यालय के कार्यरत स्थायी कर्मी के चयन पर प्रथमतः विचार करेगी पात्र कर्मचारी उपलब्ध न होने पर अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को नियुक्ति देने पर विचार करेगी ।

निरन्तर

7. स्थायी कर्मी को जिले के चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु कोई परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा । निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति होने पर मेरिट आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी ।

8. रिक्त पदों पर चयन/नियुक्तियॉ जिला स्तर पर निर्धारित रोस्टर के आधार पर पालन सुनिश्चित किया जावेगा ।

9. प्रतिनियुक्ति के पदों पर नियमितीकरण नहीं किया जा सकेगा ।

10. चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यालय प्रमुख द्वारा कलेक्टर को भेजा जावेगा । जिले के सभी कार्यालय से जानकारी प्राप्त होने पर चयन समिति की बैठक कराने का दायित्व संबंधित जिले के कलेक्टर का रहेगा ।

11. चयन समिति द्वारा चयन सूची तैयार कर संबंधित कार्यालयों को सूची भेजेगी । चयन सूची प्राप्त होते ही नियुक्तिकर्ता जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा 15 दिवस के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करेंगे ।

12. जिले के विभिन्न विभागों के जिला कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्ष में 02 बार समिति की बैठक आयोजित की जाएगी ।

(सी.बी. पडवार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-- 462004

क्रमांक एफ 16-102/2016/1/34 भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2016

प्रति,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग
जल भवन बाणगंगा, भोपाल।

विषय : कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए "स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना"।

संदर्भ : 1. म.प्र. शासन, साप्रवि का आदेश क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर 2016

2. प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.या.वि.भोपाल का पत्र कं. 9638/स्था./अराज./प्र.अ./लो. स्वा.या./2016 भोपाल दिनांक 5.12.16

--

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 7.10.2016 (परिशिष्ट-एक) का अवलोकन करें जिसके माध्यम से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु बनाये गये "मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्ते) नियम, 2013 को निरस्त किया गया है तथा निर्देशित किया गया है कि निर्माण विभागों में कार्यरत श्रमिकों (दैनिक वेतन भोगियों) को मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आज्ञाए) अधिनियम 1961 व नियम 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिक मानते हुये आदेश जारी किये जायेंगे।

2. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 7.10.2016 में ऐसे दैनिक वेतन भोगी जो दिनांक 16 मई, 2007 को कार्यरत थे व दिनांक 1 सितम्बर, 2016 को भी कार्यरत हैं, को स्थायीकर्मी की श्रेणी देने के साथ ही कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल श्रेणी के श्रमिकों हेतु श्रेणीवार वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी उक्त निर्देशों में दिनांक 16 मई, 2007 के पश्चात् शासन की अनुमति/अनुमोदन उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के पद पर नियुक्त किये गये कर्मियों को भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र बताया गया है।

3. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 7.10.2016 के निर्देश निर्माण विभागों हेतु लागू किये गये हैं। लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग में अनेक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ऐसे पदनामों पर कार्यरत हैं, जो कि श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश द्वारा जारी सूची में कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल में से किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नही है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में कुछ दैनिक वेतन भोगी ऐसे हैं जो एक ही पदनाम पर कार्य कर रहे हैं, परन्तु उन्हें अलग-- अलग जिलों/खंडो में

अलग-अलग श्रेणी (अर्थात् कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल) के अंतर्गत पारिश्रामिक दिया जा रहा है। उपरोक्त विसंगतियों के निराकरण हेतु इस विभाग द्वारा एक समिति गठित कर उचित प्रस्ताव दिये जाने हेतु प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया गया। समिति द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन को राज्य शासन ने स्वीकार किया है। तद्नुसार यह निर्धारित किया जाता है कि इस विभाग में कार्यरत समस्त दैनिक वेतन भोगी (स्थायी वर्गीकृत श्रमिक) को नीचे दर्शायी गई सारणी अनुसार अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल वर्गीकृत माना जावे तथा उन्हें सारणी में दर्शित वेतनमान प्रदान किया जाए:-

क्र.	श्रेणी	पदनाम	पदनाम पर कार्यरत स्थायी वर्गीकृत श्रमिक का वेतनमान
अ.	अकुशल	श्रमिक, चपरासी, पार्ट टाइम स्वीपर, माली, खल्लासी, हेल्पर, टेलीफोन अटेंडेंट,आल टाइप हेल्पर,चौकीदार,अकुशल श्रमिक, मजदूर, लेबर, क्लीनर	रू. 4000-80-7000
ब.	अर्द्धकुशल	टाईपिस्ट, सहायक ग्रेड-3, लिपिक, कापिस्ट,पम्प अटैंडेंट, सहायक हैड पम्प मैकेनिक, पम्प चालक, सहायक प्लम्बर, सहायक मैकेनिक,सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक पम्प चालक, सहायक सुपरवाईजर, सहायक ग्रासर, सहायक लाइनमेन,वाल्वमेन, चौकीदार कम पम्प अटेंडेंट,लाइन मेन,मस्टर क्लर्क, सहायक पम्प चालक, सहायक वेल्डर, रिफरेन्स क्लर्क,नोटिस क्लर्क, आडिटर, क्लोरीन टेस्टर, मीटर रीडर,बिल क्लर्क, सहायक इलेक्ट्रिशियन, वायरमेन, गेज रीडर, स्वीपर, गनमेन, बिल वितरक, सहायक आटो इलेक्ट्रिशियन, रिफरेंसर, पम्प आपरेटर, सहायक फिटर	रू. 4500-90-7500
स.	कुशल	स्नातक उपयंत्री, हैण्डपंप मैकेनिक, टेलीफोन आपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कारपेंटर, केमिस्ट, मैकेनिक, मेसन, फिटर, पाइप फिटर, प्लंबर,प्रयोगशाला सहायक, समयपालक, सुपरवाईजर, सर्वेयर, स्टोर क्लर्क, फोटो कापिस्ट, स्टेनो टायपिस्ट, असिस्टेंट प्रोग्रामर ,वाहन चालक, फिल्टर फिटर, मीटर इंस्पेक्टर, फोटोकापी आपरेटर, वायरलेस आपरेटर, स्थल सहायक/टाईम कीपर/समयपाल, टर्नर, सहायक रिग आपरेटर, सहायक प्रोग्रामर, प्रयोगशाला अटेंडेंट, हिन्दी शीघ्रलेखक, फिल्टर आपरेटर, सहायक केमिस्ट।	रू. 5000-100-8000

4. उपरोक्तानुसार विभाग में कार्यरत ऐसे दैनिक वेतन भोगी (स्थायी वर्गीकृत) श्रमिक जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक 7.10.2016 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हों, उन्हें दिनांक 01 सितंबर 2016 से पात्रतानुसार वेतनमान दिया जावे। औद्योगिक श्रम कानून के अंतर्गत ये श्रमिक स्थायी वर्गीकृत श्रमिक रहेंगे।

यदि कतिपय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियमानुसार स्थायी वर्गीकृत नहीं हुए हैं, तो भी यदि वे अन्यथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 7.10.2016 के अनुसार पात्र हों तो उन्हें पात्रतानुसार इस योजना का लाभ दिया जाए। पात्रता सुनिश्चित होने पर इस परिपत्र की कण्डिका 3 में दर्शित सारणी अनुसार उन्हें पारिश्रमिक दिया जाए। औद्योगिक श्रम कानून के अंतर्गत ये दैनिक वेतन भोगी औद्योगिक श्रमिक की श्रेणी में रहेंगे।

5. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही एक माह में पूर्ण कर, की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक एफ 16–102/2016/1/34 भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2016
प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग, म.प्र.
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,म.प्र.

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 10287 / प्रअ. / स्था. / अराज. / लो.स्वा.यां.वि / 2016 भोपाल, दिनांक 31/12/16

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
परिक्षेत्र भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर /
जबलपुर एवं (वि. / यॉ.) भोपाल।

विषय : कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिको के लिये "स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना"।

संदर्भ : 1. शासन का पत्र क्रमांक एफ 5–1 / 2013 / 1 / 3 / दिनांक 7.10.2016
2. शासन का पत्र क्रमांक एफ 16–102 / 2016 / 1 / 34 / दि. 24.12..2016

--

शासन के उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । (छायाप्रति संलग्न)। पत्रों में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त दैनिक वेतन भोगी श्रमिक जो कि विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत हैं, उन्हें शासन के संदर्भित पत्र क्रमांक–2 में दर्शायी गई श्रेणी में वर्गीकृत कर स्थायी कर्मी घोषित करते हुए उस श्रेणी हेतु निर्धारित वेतनमान के आधार पर सेवा की गणना करते हुए वेतनमान में वेतनवृद्धियां जोड़ते हुए वेतन निर्धारण किया जाये। ये सभी श्रमिक औद्योगिक श्रम कानून के अन्तर्गत स्थाई वर्गीकृत श्रमिक होगें ।

2/– जो श्रमिक पूर्व में अकुशल श्रेणी के अन्तर्गत वेतन प्राप्त कर रहे थे, यदि उन्हें शासन के संदर्भित आदेश क्रमांक–2 के अनुसार उच्च श्रेणी (अर्द्ध कुशल या कुशल) में वर्गीकृत किया जाना है तो उन्हें स्थायी कर्मी घोषित करने की दिनांक से संबंधित श्रेणी का वेतनमान दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई श्रमिक उच्च श्रेणी का वेतन प्राप्त कर रहा है तथा इस आदेश के अनुसार उसे नीचे की श्रेणी में रखा जाना है तो उस श्रमिक को भी स्थायी कर्मी घोषित करने की दिनांक से संबंधित श्रेणी का वेतनमान दिया जायेगा। नवीन श्रेणीकरण की स्थिति में किसी श्रमिक से न तो अंतर की राशि वसूल की जायेगी ओर न ही एरियर का भुगतान किया जायेगा।

3/ जिन खण्ड कार्यालयों द्वारा श्रमिकों को अभी तक स्थाई वर्गीकृत करने की कार्यवाही नहीं की गई है उनके अधीन कार्यरत समस्त श्रमिक भी स्थाई वर्गीकृत श्रमिक माने जावेंगे तथा स्थायी कर्मी घोषित कर वर्गीकृत श्रेणी अनुसार वेतनमान प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

निरंतर 2/

25

4/– कार्यालय प्रमुख दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थायी कर्मी घोषित करने के श्रमिकवार आदेश जारी करेंगे तथा उक्त कार्यवाही का उल्लेख उनके सेवा अभिलेखों में भी किया जायेगा। मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्यवाही 15 जनवरी, 2017 तक आवश्यक रूप से सम्पन्न हो जावे।

5/– रिक्त पद होने पर उनके विरूद्ध उन स्थायी कर्मियों को नियमित करने की कार्यवाही शासन के संदर्भित पत्र क्रमांक–1 के पैरा–2 में उल्लेखित "परिशिष्ट–अ" में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी।

संलग्न :– उरोक्तानुसार।

30/12/16
(जी.एस.डामोर)
प्रमुख अभियंता

पृ0क्रमांक 10287/प्रअ./स्था./अराज./लो.स्वा.यां.वि/2016 भोपाल, दिनांक 31/12/16
प्रतिलिपि : –

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग मण्डल/परियोजना मण्डल..............................मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग खण्ड/परियोजना खण्ड............................मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

30/12/16
प्रमुख अभियंता

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंत्रालय भोपाल

//संशोधन आदेश//

भोपाल, दिनांक 07 मई, 2018

क्रमांक एफ 16–102/2016/1/34:: राज्य शासन एतद्द्वारा प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल को सम्बोधित शासन के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24 दिसम्बर 2016 में उल्लेखित बिन्दु कमांक–3 की सारणी में दर्शित पदनामों मे निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:–

(1) क. अ, श्रेणी अकुशल के पदनाम कॉलम से पार्ट टाईम स्वीपर को विलोपित करते हुए, दो अतिरिक्त पदनाम कमशः ट्रायसेम मैकेनिक जिन्हें पूर्व मे दैनिक वेतन भोगी के रूप में वर्गीकृत किया गया है (मात्र भिण्ड जिले के लिए) एवं स्वीपर जोड़े जाते हैं।

(2) क. ब. श्रेणी अर्धकुशल के पदनाम कॉलम से स्वीपर पदनाम को विलोपित किया जाता है।

उक्त संशोधन मूल परिपत्र के जारी होने के दिनांक 24.12.2016 से ही प्रभावशील माने जावेगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(एन.ए.खान)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्र0 एफ 16–102/2016/1/34. भोपाल, दिनांक 07 मई 2018

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म0प्र0 भोपाल की ओर उनके पत्र कमांक 3929 दिनांक 26.5.17 एवं टीप प्रस्ताव कमांक 370 दिनांक 7.5.18 के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश।
6. समस्त अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश।
7. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग